

ई-डिजिटल के अन्तर्गत जारी.

ई-डिजिटल के अन्तर्गत जारी..



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला मिर्जापुर
तहसील मिर्जापुर
आवेदन क्र० 171990030109201
प्रमाणपत्र क्र० 691173033748

जारी दिनांक: 23/09/2017

प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/पुत्री कु. जान्ति देवी
माता का नाम श्रीमती लालमनी देवी
निवासी , सरखक
ग्राम सरखक
तहसील मिर्जापुर
जिला मिर्जापुर



उत्तर प्रदेश राज्य की कोइरी जाति के व्यक्ति हैं। वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कु. जान्ति देवी पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: आशीष त्रिपाठी, सहज जन सेवा केंद्र
पद: आशीष त्रिपाठी, केन्द्र प्रभारी
स्थान: दुनै, मिर्जापुर, Dunai, मझवा, मिर्जापुर
दिनांक: 24/09/2017
हस्ताक्षर एवं मुहर

VIKASH
KUMAR
PANDEY
Digitally Signed by
VIKASH KUMAR
PANDEY O=BOARD
OF REVENUE UP
GOVT,
OU=REVENUE
DEPARTMENT
MRZAPUR, S=Uttar
Pradesh

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
मिर्जापुर, मिर्जापुर
दिनांक: 23/09/2017

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजिटरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मियों द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://edistrict.up.nic.in> पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, सत्यापित किया सकता है।